



Neutral Citation No. - 2026:AHC:126939

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत याचिका संख्या - 19492/2026

नागेश कुमार

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : हिमांशु मिश्रा

विपक्षी के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 5

माननीय न्यायमूर्ति संजीव कुमार

1. आवेदक के अधिवक्ता श्री हिमांशु मिश्रा और उत्तर प्रदेश राज्य के ए.जी.ए. की बात सुनी गई और रिकॉर्ड देखा गया।
2. यह जमानत अर्जी आवेदक की ओर से केस क्राइम नंबर 156/2025 (बीएनएस की धारा 318 (4), 61 (2) और 143 (3) के तहत, पुलिस स्टेशन-साइबर क्राइम, जिला-आगरा) में जमानत पर रिहा करने की गुजारिश के साथ दायर की गई है।
3. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा कि आवेदक बेगुनाह है और उसे इस मामले में झूठा फँसाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि आवेदक 15.05.2026 से जेल में है। उन्होंने यह भी बताया कि एफ.आई.आर. में आरोप है कि नामजद सह-आरोपी अजय कुमार शुक्ला ने पीड़ित और पहले शिकायतकर्ता, दोनों से कंबोडिया में नौकरी दिलाने के नाम पर 3-3 लाख रुपये लिए थे, लेकिन कंबोडिया पहुँचने पर पता चला कि वह नौकरी साइबर गुलामी से जुड़ी थी; इसलिए, शिकायतकर्ता और पीड़ित भारत लौट आए और अपने पैसे वापस माँगे। नामजद आरोपी का एक साइबर कैफ़े है और इस मामले में कई लोग शामिल हैं। जाँच के दौरान, सह-आरोपी अजय कुमार शुक्ला और मो. आतिफ़ खान के बयानों में आवेदक का नाम सामने आया। यह भी कहा अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



गया कि एफ.आई.आर. में आवेदक का नाम नहीं है और उसका नाम सह-आरोपी अजय कुमार शुक्ला के बयान में आया है, जिसे इस कोर्ट की ही एक अन्य बेंच ने क्रिमिनल मिसलेनियस बेल एप्लीकेशन नंबर 45552/2025 में 23.02.2026 के आदेश से पहले ही जमानत दे दी है। उन्होंने आगे कहा कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे पता चले कि आवेदक उस अपराध में शामिल था। आवेदक के खिलाफ जाँच चल रही है। इन हालात में, आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है। जमानत मिलने पर, वह जमानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और मुक़दमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. विद्वान ए.जी.ए ने आवेदक की जमानत की अर्ज़ी का विरोध किया।

5. आवेदक और विद्वान ए.जी.ए के अधिवक्ता की दलीलों, प्राथमिकी और अन्य ज़रूरी दस्तावेज़ों को देखने, और अपराध की प्रकृति, सबूत, आरोपी की भूमिका, सज़ा की गंभीरता और दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों पर विचार करने के बाद, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय जाहिर किए बिना, मेरी यह राय है कि आवेदक जमानत का हकदार है। जमानत की अर्ज़ी मंज़ूर की जाती है।

6. आवेदक- **नागेश कुमार**, जो ऊपर बताए गए आपराधिक मामले में शामिल है, को जमानत पर रिहा किया जाए। इसके लिए उसे संबंधित अदालत की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का एक पर्सनल बॉन्ड और दो जमानतदार देने होंगे, और उसे निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा:

(i) आवेदक ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा या उसमें शामिल नहीं होगा जो उस अपराध जैसा हो जिसका उस पर आरोप है या जिसके करने का उस पर संदेह है।

(ii) आवेदक मामले की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कोई लालच, धमकी या वादा नहीं देगा ताकि उसे अदालत या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसी जानकारी बताने से रोका जा सके, और न ही वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेगा।

(iii) आवेदक को यह अंडरटेकिंग (वचन-पत्र) देना होगा कि जब गवाह कोर्ट में मौजूद हों, तो वह सबूत के लिए तय तारीख पर सुनवाई टालने की मांग नहीं करेगा। अगर इस शर्त का पालन नहीं किया जाता है, तो विचारण न्यायालय इसे जमानत की आज़ादी का दुरुपयोग मान सकता है और कानून के अनुसार आदेश दे सकता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iv) आवेदक को तय हर तारीख पर विचारण न्यायालय के सामने खुद या अपने अधिवक्ता के ज़रिए मौजूद रहना होगा। अगर वह बिना किसी ठोस वजह के गैर-हाज़िर रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 229-ए (जो बीएनएसकी धारा 269 के बराबर है) के तहत कार्रवाई कर सकता है।

(v) अगर आवेदक ट्रायल के दौरान ज़मानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल करता है, तो उसकी मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए सी.आर.पी.सी. की धारा 82 (जो बीएनएसएस की धारा 84 के बराबर है) के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है। अगर आवेदक ऐसी उद्घोषणा में तय तारीख पर कोर्ट में पेश नहीं होता है, तो विचारण न्यायालय कानून के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 174-A (जो बीएनएस की धारा 209 के बराबर है) के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू करेगा।

(vi) आवेदक को इन तारीखों पर विचारण न्यायालय के सामने खुद मौजूद रहना होगा: (1) केस की शुरुआत, (2) आरोप तय करना और (3) सी.आर.पी.सी. की धारा 313 (जो बीएनएसएस की धारा 351 के बराबर है) के तहत बयान दर्ज करना। अगर विचारण न्यायालय को लगता है कि आवेदक जानबूझकर या बिना किसी ठोस वजह के गैर-हाज़िर रहा है, तो विचारण न्यायालय इस चूक को ज़मानत की आज़ादी का दुरुपयोग मान सकता है और कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।

7. ऊपर दी गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, विचारण न्यायालय द्वारा ज़मानत रद्द की जा सकती है।

(संजीव कुमार, न्यायमूर्ति)

11 जून, 2026

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।